झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू–अर्जन निदेशालय, रॉंची।
अधिसूचना

संख्या– 10/DLA लाते० (रेल)-27/13 – 778/भू० दिनांक– 31-12-13

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–बनवार थाना नं0–51 थाना–बालूमाथ परगना–टोरी जिला लातेहार, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् लातेहार में टोरी–शिवपुर नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपर्युक्त ग्राम– बनवार थाना नं0–51 थाना–बालूमाथ के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमबेस 1.78 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :–

ग्राम–बनवार
थाना नं0–51 थाना–बालूमाथ

सर्वे खेसरा संख्या–168.171,176,177,229 का अंश एवं 170,174,175 पूर्ण। ग्राम–बनवार थाना–बालूमाथ थाना नं0–51 जिला लातेहार तथा जिसकी चौहदी विवरणी निम्न प्रकार है :–

चौहदी विवरण

खण्ड''क''

उत्तर	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 236 पूर्ण
पूरब	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 229 का अंश
दक्षिण	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 236 पूर्ण
पश्चिम	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 236 पूर्ण

खण्ड''ख''

उत्तर	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 176 का अंश एवं 167 पूर्ण
पूरब	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 176,177 का अंश
दक्षिण	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 173 पूर्ण
पश्चिम	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 173,167 पूर्ण

खण्ड''ग''

उत्तर	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 173 पूर्ण
पूरब	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 169 पूर्ण
दक्षिण	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 185 पूर्ण
पश्चिम	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 168 का अंष

खण्ड''घ

उतर	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 173 पूर्ण
पूरब	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 171 का अंश 173 पूर्ण
दक्षिण	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 185 पूर्ण
पश्चिम	:–	सर्वे खेसरा संख्या – 169,173 पूर्ण

यह अधिसूचना अधिनियम–I 1894 की धारा–4(क) के उपलब्धियों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनिमय–II, 1961 द्वारा संशोधित हुआ है। उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो ।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय में देखा जा सकता है। उपायुक्त, लातेहार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार एवं उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान पर तत्समय लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धार–4 उप धारा–2 में उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य का समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्यों का पूरा करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चुँकि झारखण्ड राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा इसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि/भूमियों पर लागु नहीं होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

17.5.12 17.5.12 17.5.12 31.12.13

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार।

अपर समाहर्ता लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

सरकार के अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची । 31.12.13

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड रांची को अधिसूचना की तीन प्रतियों में स्थानीय दो दैनिक सामाचार पत्र में जिसकी एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित पत्र की प्रेष कतरण इस कार्यालय को भेजने के निमित प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रॉची ।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, लातेहार एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक– /भू0अ0 दिनांक–

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, लातेहार को अधिसूचना की दो प्रतियां जिला राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने और प्रकाषित पत्र की 10 प्रतियॉ इस कार्यालय को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

[PTO]

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/DLA लाते० (रेल) -27/13 - 7791/रा. दिनांक–...31-12-13

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, लातेहार को जिला लातेहार के आगामी असाधारण / पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3. उपायुक्त, लातेहार को अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रासंगिक अधिसूचना तथा इसकी कम्प्यूटर फ्लॉपी अपने स्तर से निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु शीघ्र भेजने की कृपा की जाय। साथ ही प्रासंगिक अधिसूचना को निम्नांकित शर्त्तो के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है –

शर्त्त :–

(i) यदि भविष्य में प्रश्नगत मामला "The Right to fair compensation & Transprancy in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013" से आच्छादित होने पर उसमे निहित प्रावधान इस पर प्रभावी होंगे।

(ii) पेसा एक्ट 1996 के अनुपालन से संबंधित ग्राम सभा की बैठक की (यथा ग्राम–बनवार, फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह, मनातू, बुकरू, चड़रा, अनगड़ा, कामता, बाना, भूषाढ़, चतरो, कसियाडीह, बसिया, जोगियाडीह एवं हेमपुर) एनेक्चर–1 की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के उप सचिव।

31.12.13